



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 897]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 14, 2018/अग्रहायण 23, 1940

No. 897]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 14, 2018/AGRAHAYANA 23, 1940

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय**

**(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)**

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2018

**सा.का.नि. 1209(अ).**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् केंद्रीय सिविल सेवाएं (छुट्टी) नियम, 1972 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सिविल सेवाएं (छुट्टी) (चौथा संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय सिविल सेवाएं (छुट्टी) नियम, 1972 में, --

(अ) नियम 28 के उपनियम (1) के खंड (क), (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :- ‘

“(क) प्रत्येक सरकारी सेवक (मिलिट्री अधिकारी से भिन्न) जो प्रावकाश विभाग में कार्य कर रहे हैं के छुट्टी खाते में प्रत्येक कलेंडर वर्ष के जनवरी और जुलाई के प्रथम दिन पांच दिनों की दो किशतों में अर्जित छुट्टी अग्रिम में जमा की जाएगी।

(ख) किसी ऐसे वर्ष के संबंध में जिसके लिए कोई सरकारी सेवक अवकाश के एक भाग का उपभोग कर लेता है तो वह पूर्ण अवकाश दिनों में से उपभोग नहीं किए गए अवकाश दिनों के बीस दिन के अनुपात में अतिरिक्त अर्जित छुट्टियों का हकदार होगा, परंतु एक कलेंडर वर्ष में जमा की गई कुल अर्जित छुट्टी तीस दिन से अधिक नहीं होगी।

(ग) यदि, किसी वर्ष में किसी सरकारी सेवक ने कोई अवकाश नहीं लिया है, तो अर्जित छुट्टी खंड (क) और (ख) के बजाए नियम 26 के अनुसार होगी।”;

(आ) नियम 29 के उपनियम(1) के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(1) प्रत्येक सरकारी सेवक (मिलिट्री अधिकारी और प्रावकाश विभाग में कार्यरत सरकारी सेवक से भिन्न) के अर्द्धवेतन छुट्टी खाते में प्रत्येक कलेंडर वर्ष के जनवरी और जुलाई के प्रथम दिन दस दिनों की दो किश्तों में अग्रिम में अर्द्धवेतन छुट्टी जमा की जाएगी।”;

(इ) नियम 43-ग,-

(क) के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(1) इस नियम के उपबंधों के अधीन किसी महिला सरकारी सेवक और एकल पुरुष सरकारी सेवक को अपने दो ज्येष्ठ जीवित बालकों की देखभाल के लिए चाहे वह पालनपोषण के लिए हो अथवा उनकी किसी भी जरूरत जैसे कि शिक्षा, बीमारी और ऐसी ही अन्य जरूरत के लिए उसके संपूर्ण सेवाकाल में छुट्टी स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकतम सात सौ तीस दिनों की संतान देखभाल छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है।”

(ख) उपनियम (3) और (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

‘(3) उपनियम (1) के अधीन किसी महिला सरकारी सेवक और एकल पुरुष सरकारी सेवक को संतान देखभाल की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, अर्थात्:-

(i) यह किसी कलेंडर वर्ष में अधिकतम तीन बार स्वीकृत की जाएगी;

(ii) एकल महिला सरकारी सेवक की दशा में एक कलेंडर वर्ष में तीन बार में छुट्टी को प्रदान करने को एक कलेंडर वर्ष में छह बार तक बढ़ाया जायेगा;

(iii) कतिपय विशेष परिस्थितियां जिसमें छुट्टी मंजूरी प्राधिकारी परिवीक्षार्थी को संतान देखभाल छुट्टी देने के बारे में संतुष्ट हो, को छोड़कर सामान्तया परिवीक्षा के दौरान स्वीकृत नहीं की जाएगी परंतु अवधि जिसके लिए छुट्टी स्वीकृत की जाती हो, न्यूनतम हों।

(iv) संतान देखभाल छुट्टी एक साल में पांच दिन से कम की अवधि के लिए नहीं प्रदान की जाएगी।”;

‘(4) संतान देखभाल छुट्टी के दौरान, महिला सरकारी सेवक और एकल पुरुष सरकारी सेवक को पहले तीन सौ पैसठ दिन के लिए वेतन के सौ प्रतिशत, लेकिन अगले तीन सौ पैसठ दिन के लिए वेतन के अस्सी प्रतिशत का भुगतान किया जाएगा’

**स्पष्टीकरण :** ‘एकल पुरुष सरकारी सेवक से – एक अविवाहित या विधुर या परित्यक्त सरकारी सेवक अभिप्रेत है।’;

(ई) नियम 44 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

‘44— कार्य से संबंधित बीमारी और क्षति (डब्ल्यू आर आई आई एल):-

यह किसी सरकारी सेवक (चाहे स्थायी हो या अस्थायी), जो ऐसी बीमारी या क्षति से पीड़ित है कि जो उसकी शासकीय कर्तव्यों के पालन के कारण हुई है या गम्भीर हुई है या उसकी शासकीय स्थिति के परिणामस्वरूप हुई है को निम्नलिखित शर्तों पर, इन नियमों के नियम 19 के उपनियम (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे प्राधिकारी जो छुट्टियां प्रदान करने के लिए सक्षम है, द्वारा कार्य से संबंधित बीमारी और क्षति छुट्टी (जिसे इसे इसमें इसके पश्चात् डब्ल्यूआरआईआईएल कहा गया है) प्रदान की जा सकेगी, अर्थात्

- (1) डब्ल्यूआरआईआईएल के कारण अस्पताल में भर्ती होने की संपूर्ण अवधि के दौरान सभी कर्मचारियों को पूर्ण वेतन और भत्ते प्रदान किए जाएंगे।
- (2) अस्पताल में भर्ती के पश्चात्, डब्ल्यूआरआईआईएल निम्न प्रकार शासित होगी:
- (क) एक सरकारी कर्मचारी (मिलिट्री अधिकारी से भिन्न)- को अस्पताल में भर्ती के परे अव्यवहित छह माह के लिए पूर्ण वेतन और भत्ते और उक्त छह माह की अवधि के पश्चात् बारह माह के लिए आधा वेतन दिया जाएगा। अर्द्धवेतन अवधि को कर्मचारी छुट्टी खाते से विकलित अर्द्धवेतन छुट्टी के दिनों की तत्स्थानी संख्या के साथ पूर्ण वेतन में परिवर्तित किया जा सकेगा।
- (ख) केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अधिकारियों के लिए - अस्पताल में भर्ती के परे अव्यवहित छह माह के लिए पूर्ण वेतन और भत्ते, और केवल अगले चौबीस माह के लिए पूर्ण वेतन।
- (ग) केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अधिकारियों की पंक्ति से नीचे के कार्मिकों के लिए- पूर्ण वेतन और जिनकी अवधि के संबंध में कोई सीमा नहीं है।
- (3) ऐसे व्यक्तियों की दशा में जिन पर कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 लागू होता है को डब्ल्यूआरआईआईएल के अधीन संदत्त छुट्टी वेतन की रकम में से अधिनियम के अधीन देय प्रतिकर की रकम घटा दी जाएगी।
- (4) जब कर्मचारी डब्ल्यूआरआईआईएल पर है उस अवधि के दौरान कोई अर्जित छुट्टी या अर्द्धवेतन छुट्टी जमा नहीं होगी।
- (उ) नियम 45 और 46 का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 11020/01/2017-स्था.(एल)]

जानेन्द्र देव त्रिपाठी, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i), तारीख 8 अप्रैल, 1972 में अधिसूचना सं. का.आ. 940 तारीख 15 मार्च, 1972 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :-

| क्र.सं. | अधिसूचना संख्यांक   | तारीख      | सा.का.नि. सं.        | सा.का.नि.तारीख |
|---------|---------------------|------------|----------------------|----------------|
| 1.      | 16(3)-ई. IV(ए)/71   | 11.1.1972  | 2724                 | 4.11.1972      |
| 2.      | 4(7)-ई. IV(ए)/72    | 30.4.1973  | 1399                 | 19.5.1973      |
| 3.      | 5(15)-ई. IV(ए)/73   | 13.7.1973  | 821                  | 14.8.1973      |
| 4.      | 14(10)-ई. IV(ए)/73  | 11.6.1974  | आसानी से उपलब्ध नहीं |                |
| 5.      | 5(8)-ई. IV(ए)/73    | 19.7.1974  | 818                  | 3.8.1974       |
| 6.      | 14(8)-ई. IV(ए)/74   | 2.11.1974  | 1242                 | 23.11.1974     |
| 7.      | 16(3)-ई. IV(ए)/74   | 20.12.1974 | 1374                 | 28.12.1974     |
| 8.      | 16(5)-ई. IV(ए)/74   | 11.4.1975  | 526                  | 26.4.1975      |
| 9.      | 16(8)-ई. IV(ए)/74   | 26.5.1975  | 686                  | 7.6.1975       |
| 10.     | 4(1)-ई. IV(ए)/74    | 24.6.1975  | 834                  | 12.7.1975      |
| 11.     | 16(8)-ई. IV(ए)/74   | 20.9.1975  | 2876                 | 27.12.1975     |
| 12.     | 5(7)-ई. IV(ए)/75    | 2.12.1975  | 2877                 | 27.12.1975     |
| 13.     | 5(16)-ई. IV(ए)/73   | 15.1.1976  | आसानी से उपलब्ध नहीं |                |
| 14.     | 16(6)-ई. IV(ए)/73   | 31.7.1976  | 1184                 | 14.8.1978      |
| 15.     | 16(3)-ई. IV(ए)/76   | 7.10.1976  | 1587                 | 13.11.1976     |
| 16.     | 4(9)-ई. IV(ए)/76    | 14.3.1977  | 611                  | 14.5.1977      |
| 17.     | 14(11)-ई. IV(ए)/76  | 12.9.1978  | 1159                 | 23.9.1978      |
| 18.     | 14025/1/78-ई. IV(ए) | 4.10.1978  | 1255                 | 15.9.1979      |

|     |                          |              |         |            |
|-----|--------------------------|--------------|---------|------------|
| 19. | 13024/1/76-ई.IV(ए)       | 29.8.1979    | 1150    | 15.9.1979  |
| 20. | 11022/1/77-ई.IV(ए)       | 21.11.1979   | 1422    | 1.12.1979  |
| 21. | 14018/1/80-एलयू          | 21.11.1980   | 1260    | 13.12.1980 |
| 22. | 16(19)-ई.IV(ए)/76        | 31.12.1980   | 263     | 24.11.1981 |
| 23. | 11012/2/80-स्था.(एल)     | 24.8.1981    | 811     | 5.9.1981   |
| 24. | 14028/9/1980-स्था.(एल)   | 1.10.1981    | 927     | 7.10.1981  |
| 25. | 14025/9/80-स्था.(एल)     | 16.4.1982    | 423     | 8.5.1982   |
| 26. | 13023/2/81-स्था.(एल)     | 16.4.1983    | 430     | 4.6.1983   |
| 27. | 14028/8/82-स्था.(एल)     | 27.7.1983    | 489     | 13.8.1983  |
| 28. | 131023/2/81-स्था.(एल)    | 12.10.1983   | 804     | 5.11.1983  |
| 29. | 14028/6/81-स्था.(एल)     | 17.10.1973   | 350     | 24.3.1983  |
| 30. | 13015/11/82-स्था.(एल)    | 25.5.1984    | 566     | 9.6.1984   |
| 31. | 18011/3/80-स्था.(एल)     | 12.7.1984    | 788     | 28.7.1984  |
| 32. | 14028/1/81-स्था.(एल)     | 19.7.1984    | 817     | 4.8.1984   |
| 33. | 14028/16/82-स्था.(एल)    | 31.5.1985    | 558     | 15.6.1985  |
| 34. | 13014/1/85-स्था.(एल)     | 3.12.1985    | 1139    | 14.12.1985 |
| 35. | 14028/19/86-स्था.(एल)    | 9.12.1986    | 1072    | 14.12.1985 |
| 36. | 13023/20/84-स्था.(एल)    | 11.12.1986   | 1102    | 27.12.1986 |
| 37. | 13014/1/87-स्था.(एल)     | 17.6.1987    | 515     | 4.7.1987   |
| 38. | 11012/1/85-स्था.(एल)     | 23.6.1987    | 516     | 4.7.1988   |
| 39. | 14028/18/86-स्था.(एल)    | 23.3.1988    | 260     | 9.4.1988   |
| 40. | 11012/1/85-स्था.(एल)     | 6.6.1988     | 476     | 18.6.1988  |
| 41. | 13012/12/86-स्था.(एल)    | 10.3.1989    | 198     | 25.3.1989  |
| 42. | 13026/2/90-स्था.(एल)     | 22.10.1990   | 55      | 26.1.1991  |
| 43. | 11014/3/89-स्था.(एल)     | 2.5.1991     | 303     | 18.5.1991  |
| 44. | 11014/3/89-स्था.(एल)     | 21.1.1992    | 49      | 8.2.1992   |
| 45. | 13026/2/90-स्था.(एल)     | 4.3.1992     | 119     | 14.3.1992  |
| 46. | 13026/2/90-स्था.(छुट्टी) | 20.4.1993    | 225     | 8.5.1993   |
| 47. | 13018/7/94-स्था.(एल)     | 31.3.1995    | 317(अ)  | 31.3.1995  |
| 48. | 14028/10/91-स्था.(एल)    | 8.8.1995     | 385     | 19.8.1995  |
| 49. | 14028/4/91-स्था.(एल)     | 18.9.1995    | 442     | 7.10.1995  |
| 50. | 14015/2/97-स्था.(एल)     | 31.12.1997   | 727(अ)  | 31.12.1997 |
| 51. | 13026/1/99-स्था.(एल)     | 18.4.2002    | 149     | 27.4.2002  |
| 52. | 13026/1/2002-स्था.(एल)   | 15/16.1.2004 | 186     | 5.6.2004   |
| 53. | 14028/1/2004-स्था.(एल)   | 13.2.2006    | 47      | 4.3.2006   |
| 54. | 13018/1/2004-स्था.(एल)   | 31.3.2006    | 91      | 27.4.2006  |
| 55. | 13023/3/98-स्था.(एल)     | 26.10.2007   | 229     | 3.11.2007  |
| 56. | 11012/1/2009-स्था.(एल)   | 1.12.2009    | 170     | 5.12.2009  |
| 57. | 13026/1/2010-स्था.(एल)   | 12.5.2011    | 160     | 12.5.2011  |
| 58. | 13026/1/2010-स्था.(एल)   | 5.8.2011     | 601(अ)  | 5.8.2011   |
| 59. | 14028/1/2010-स्था.(एल)   | 26.8.2011    | 646(अ)  | 26.8.2011  |
| 60. | 13018/4/2011-स्था.(एल)   | 27.8.2011    | 648 (अ) | 27.8.2011  |
| 61. | 13026/4/2011-स्था.(एल)   | 26.12.2011   | 898 (अ) | 26.12.2011 |
| 62. | 13026/3/2011-स्था.(एल)   | 28.3.2012    | 255 (अ) | 28.3.2012  |
| 63. | 13026/2/2010-स्था.(एल)   | 29.3.2012    | 261 (अ) | 29.3.2012  |
| 64. | 13026/5/2011-स्था.(एल)   | 4.4.2012     | 283(अ)  | 4.4.2012   |
| 65. | 13026/4/2012-स्था.(एल)   | 18.2.2014    | 96(अ)   | 18.02.2014 |
| 66. | 13026/4/2012-स्था.(एल)   | 17.4.2014    | 286(अ)  | 21.04.2014 |

|     |                        |            |        |            |
|-----|------------------------|------------|--------|------------|
| 67. | 13018/6/2013-स्था.(एल) | 09.10.2014 | 711(अ) | 09.10.2014 |
| 68. | 13026/2/2016-स्था.(एल) | 15.3.2017  | 251(अ) | 15.03.2017 |
| 69. | 13023/1/2017-स्था.(एल) | 1.1.2018   | 08(अ)  | 03.01.2018 |
| 70. | 18017/1/2014-स्था.(एल) | 3.4.2018   | 438(अ) | 09.05.2018 |
| 71. | 13018/6/2013-स्था.(एल) | 6.6.2018   | 554(अ) | 13.06.2018 |

**MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**

**(Department of Personnel and Training)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th December, 2018

**G.S.R. 1209(E).**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 read with clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Leave) (Fourth Amendment) Rules, 2018.
    - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
  2. In the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, —
    - (A) in rule 28, in sub-rule (1) for clauses (a), (b) and (c), the following clauses shall be substituted, namely:-
      - “(a) The leave account of every Government servant (other than a military officer) who is serving in a Vacation Department shall be credited with ‘earned leave, in advance’ in two installments of five days each on the first day of January and July of every calendar year.
      - (b) In respect of any year in which a Government Servant avails a portion of the vacation, he shall be entitled to additional earned leave in such proportion of twenty days, as the number of days of vacation not taken bears to the full vacation, provided the total earned leave credited shall not exceed thirty days in a calendar year.
      - (c) If, in any year, the Government servant does not avail any vacation, earned leave will be as per Rule 26 instead of clauses (a) and (b).”;
    - (B) in rule 29, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—
 

“(1) The half pay leave account of every Government servant (other than a military officer and a Government servant serving in a Vacation Department) shall be credited with half pay leave in advance, in two installments of ten days each on the first day of January and July of every calendar year.”;
    - (C) in rule 43-C. (a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely”;
- “(1) Subject to the provisions of this rule, a female Government servant and single male Government servant may be granted child care leave by an authority competent to grant leave for a maximum period of seven hundred and thirty days during entire service for taking care of two eldest surviving children, whether for rearing or for looking after any of their needs, such as education, sickness and the like.” ;
  - (b) for sub-rules (3) and (4), the following sub-rules shall be substituted, namely:-
    - “(3) Grant of child care leave to a female Government servant and a single male Government servant under sub-rule (1) shall be subject to the following conditions, namely:-
- (i) it shall not be granted for more than three spells in a calendar year;
  - (ii) in case of a single female Government servant, the grant of leave in three spells in a calendar year shall be extended to six spells in a calendar year.

- (iii) it shall not ordinarily be granted during the probation period except in case of certain extreme situations where the leave sanctioning authority is satisfied about the need of child care leave to the probationer, provided that the period for which such leave is sanctioned is minimal.
- (iv) child care leave may not be granted for a period less than five days at a time.

(4) During the period of child care leave, a female Government servant and a single male Government servant shall be paid one hundred percent of the salary for the first three hundred and sixty five days, and at eighty percent of the salary for the next three hundred and sixty five days.

**Explanation.**—Single Male Government Servant’ means – an unmarried or widower or divorcee Government servant.”;

(D) for rule 44, the following rule shall be substituted, namely:-

“44. Work Related Illness and Injury Leave:-

The authority competent to grant leave may grant Work Related Illness and Injury Leave ( herein after referred to as WRIL) to a Government servant (whether permanent or temporary), who suffers illness or injury that is attributable to or aggravated in the performance of her or his official duties or in consequence of her or his official position subject to the provisions contained in sub-rule (1) of rule 19 of these rules, on the following conditions, namely :

- (1) Full pay and allowances shall be granted to all employees during the entire period of hospitalisation on account of WRIL.
- (2) Beyond hospitalization, WRIL shall be governed as follows:
- (a) A Government servant (other than a military officer) full ~~pay~~ and allowances for the six months immediately following hospitalisation and Half Pay for twelve months beyond the said period of six months. The Half Pay period may be commuted to full pay with corresponding number of days of Half Pay Leave debited from the employees leave account.
- (b) For officers of Central Armed Police Forces full ~~pay~~ and allowances for six months immediately following the hospitalisation and full pay only for the next twenty four months.
- (c) For personnel below the rank of officer of the Central Armed Police Forces full pay and allowances, with no limit regarding period.
- (3) In the case of persons to whom the Workmen’s Compensation Act, 1923 applies, the amount of leave salary payable under WRIL shall be reduced by the amount of compensation paid under the Act.
- (4) No Earned Leave or Half Pay Leave shall be credited during the period that employee is on WRIL.”.

(E) rules 45 and 46 shall be omitted.

[F. No. 11020/01/2017 -Estt(L)]

GYANENDRA DEV TRIPATHI Jt. Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated 8<sup>th</sup> April, 1972 *vide* number S.O. 940 dated the 15<sup>th</sup> March, 1972 and have been subsequently amended *vide*:

| S. No. | Number of the notification | Date       | GSR. No.              | GSR date   |
|--------|----------------------------|------------|-----------------------|------------|
| 1      | 16(3)-E.IV(A)/71           | 11.1.1972  | 2724                  | 4.11.1972  |
| 2      | 4(7)-E.IV(A)/72            | 30.4.1973  | 1399                  | 19.5.1973  |
| 3      | 5(15)-E.IV(A)/73           | 13.7.1973  | 821                   | 14.8.1973  |
| 4      | 14(10)-E.IV(A)/73          | 11.6.1974  | Not readily available |            |
| 5      | 5(8)-E.IV(A)/73            | 19.7.1974  | 818                   | 3.8.1974   |
| 6      | 14(8)-E.IV(A)/74           | 2.11.1974  | 1242                  | 23.11.1974 |
| 7      | 16(3)-E.IV(A)/74           | 20.12.1974 | 1374                  | 28.12.1974 |
| 8      | 16(5)-E.IV(A)/74           | 11.4.1975  | 526                   | 26.4.1975  |

|    |                             |              |                       |            |
|----|-----------------------------|--------------|-----------------------|------------|
| 9  | 16(8)-E.IV(A)/74            | 26.5.1975    | 686                   | 7.6.1975   |
| 10 | 4(1)-E.IV(A)/74             | 24.6.1975    | 834                   | 12.7.1975  |
| 11 | 16(8)-E.IV(A)/74            | 20.9.1975    | 2876                  | 27.12.1975 |
| 12 | 5(7)-E.IV(A)/75             | 2.12.1975    | 2877                  | 27.12.1975 |
| 13 | 5(16)-E.IV(A)/73            | 15.1.1976    | Not readily available |            |
| 14 | 16(6)-E.IV(A)/74            | 31.7.1976    | 1184                  | 14.8.1978  |
| 15 | 16(3)-E.IV(A)/76            | 7.10.1976    | 1587                  | 13.11.1976 |
| 16 | 4(9)-E.IV(A)/76             | 14.3.1977    | 611                   | 14.5.1977  |
| 17 | 14(11)-E.IV(A)/76           | 12.9.1978    | 1159                  | 23.9.1978  |
| 18 | 14025/1/78-E.IV(A)          | 4.10.1978    | 1255                  | 21.10.1978 |
| 19 | 13024/1/76-E.IV(A)          | 29.8.1979    | 1150                  | 15.9.1979  |
| 20 | 11022/1/77-E.IV(A)          | 21.11.1979   | 1422                  | 1.12.1979  |
| 21 | 14018/1/80-LU               | 21.11.1980   | 1260                  | 13.12.1980 |
| 22 | 16(19)-E.IV(A)/76           | 31.12.1980   | 263                   | 24.11.1981 |
| 23 | 11012/2/80-Est.(L)          | 24.8.1981    | 811                   | 5.9.1981   |
| 24 | 14028/9/80-Est.(L)          | 1.10.1981    | 927                   | 17.10.1981 |
| 25 | 14025/9/80-Est.(L)          | 16.4.1982    | 423                   | 8.5.1982   |
| 26 | 13023/2/81-Est.(L)          | 16.4.1983    | 430                   | 4.6.1983   |
| 27 | 14028/8/82-Est.(L)          | 27.7.1983    | 489                   | 13.8.1983  |
| 28 | 131023/2/81-Est.(L)         | 12.10.1983   | 804                   | 5.11.1983  |
| 29 | 14028/6/81-Est.(L)          | 17.10.1973   | 350                   | 24.3.1983  |
| 30 | 13015/11/82-Est.(L)         | 25.5.1984    | 566                   | 9.6.1984   |
| 31 | 18011/3/80-Est.(L)          | 12.7.1984    | 788                   | 28.7.1984  |
| 32 | 14028/1/81-Est.(L)          | 19.7.1984    | 817                   | 4.8.1984   |
| 33 | 14028/16/82-Est.(L)         | 31.5.1985    | 558                   | 15.6.1985  |
| 34 | 13014/1/85-Est.(L)          | 3.12.1985    | 1139                  | 14.12.1985 |
| 35 | 14028/19/86-Est.(L)         | 9.12.1986    | 1072                  | 14.12.1985 |
| 36 | 13023/20/84-Est.(L)         | 11.12.1986   | 1102                  | 27.12.1986 |
| 37 | 13014/1/87-Est.(L)          | 17.6.1987    | 515                   | 4.7.1987   |
| 38 | 11012/1/85-Est.(L)          | 23.6.1987    | 516                   | 4.7.1988   |
| 39 | 14028/18/86-Est.(L)         | 23.3.1988    | 260                   | 9.4.1988   |
| 40 | 11012/1/85-Est.(L)          | 6.6.1988     | 476                   | 18.6.1988  |
| 41 | 13012/12/86-Est.(L)         | 10.3.1989    | 198                   | 25.3.1989  |
| 42 | 13026/2/90-Est.(L)          | 22.10.1990   | 55                    | 26.1.1991  |
| 43 | 11014/3/89-Est.(L)          | 2.5.1991     | 303                   | 18.5.1991  |
| 44 | 11014/3/89-Est.(L)          | 21.1.1992    | 49                    | 8.2.1992   |
| 45 | 13026/2/90-Est.(L)          | 4.3.1992     | 119                   | 14.3.1992  |
| 46 | 13026/2/90-Est.(Leave)      | 20.4.1993    | 225                   | 8.5.1993   |
| 47 | 13018/7/94-Estt.(L)         | 31.3.1995    | 317(E)                | 31.3.1995  |
| 48 | 14028/10/91-Estt.(L)        | 8.8.1995     | 385                   | 19.8.1995  |
| 49 | 14028/4/91-Estt.(L)         | 18.9.1995    | 442                   | 7.10.1995  |
| 50 | 14015/2/97-Estt.(L)         | 31.12.1997   | 727(E)                | 31.12.1997 |
| 51 | 13026/1/99-Estt.(L)         | 18.4.2002    | 149                   | 27.4.2002  |
| 52 | 13026/1/2002-Estt.(L)       | 15/16.1.2004 | 186                   | 5.6.2004   |
| 53 | 14028/1/2004-Estt.(L)       | 13.2.2006    | 47                    | 4.3.2006   |
| 54 | 13018/4/2004-Estt.(L)       | 31.3.2006    | 91                    | 27.4.2006  |
| 55 | 13023/3/98-Estt.(L), Vol.II | 26.10.2007   | 229                   | 3.11.2007  |

---

|    |                        |            |        |            |
|----|------------------------|------------|--------|------------|
| 56 | 11012/1/2009-Estt.(L)  | 1.12.2009  | 170    | 5.12.2009  |
| 57 | 13026/1/2010-Estt.(L)  | 12.5.2011  | 160    | 12.5.2011  |
| 58 | 13026/5/2010-Estt.(L)  | 5.8.2011   | 601(E) | 5.8.2011   |
| 59 | 14028/1/2010-Estt.(L)  | 26.8.2011  | 646(E) | 26.8.2011  |
| 60 | 13018/4/2011-Estt.(L)  | 27.8.2011  | 648(E) | 27.8.2011  |
| 61 | 13026/4/2011-Estt.(L)  | 26.12.2011 | 898(E) | 26.12.2011 |
| 62 | 13026/3/2011-Estt.(L)  | 28.3.2012  | 255(E) | 28.3.2012  |
| 63 | 13026/2/2010-Estt.(L)  | 29.3.2012  | 261(E) | 29.3.2012  |
| 64 | 13026/5/2011-Estt.(L)  | 4.4.2012   | 283(E) | 4.4.2012   |
| 65 | 13026/4/2012-Estt.(L)  | 18.2.2014  | 96(E)  | 18.02.2014 |
| 66 | 13026/4/2012-Estt.(L)  | 17.4.2014  | 286(E) | 21.04.2014 |
| 67 | 13018/6/2013-Estt. (L) | 09.10.2014 | 711€   | 09.10.2014 |
| 68 | 13026/2/2016-Estt.(L)  | 15.3.2017  | 251(E) | 15.03.2017 |
| 69 | 13023/1/2017-Estt.(L)  | 01.1.2018  | 08(E)  | 03.01.2018 |
| 70 | 18017/1/2014-Estt (L)  | 3.4.2018   | 438(E) | 09.05.2018 |
| 71 | 13018/6/2013 -Estt (L) | 6.6.2018   | 554(E) | 13.06.2018 |